

खान मंत्रालय
मांग संख्या 11
खान मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	(करोड़ रुपए)									
राजस्व	208.01	405.24	613.25	169.51	310.00	479.51	196.73	280.00	476.73	
पूंजी	20.49	...	20.49	20.49	...	20.49	42.27	30.00	72.27	
जोड़	228.50	405.24	633.74	190.00	310.00	500.00	239.00	310.00	549.00	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	7.67	7.67	...	7.67	7.67	...	8.17	8.17
अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग										
2. भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण	2853	160.81	177.70	338.51	122.31	177.46	299.77	145.79	189.00	334.79
	4853	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़	160.82	177.70	338.52	122.32	177.46	299.78	145.80	189.00	334.80	
3. खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड को अनुदान	2853	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	10.00	...	10.00
4. भारतीय खान ब्यूरो	2853	17.15	14.13	31.28	17.15	14.13	31.28	18.14	15.00	33.14
	4853	0.11	...	0.11	0.11	...	0.11	0.01	...	0.01
जोड़	17.26	14.13	31.39	17.26	14.13	31.39	18.15	15.00	33.15	
5. भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड को अनुदान	2853	...	83.01	83.01	...	83.01	83.01	...	5.00	5.00
6. हिन्दुस्तान कापर लि. को अनुदान	2853	...	120.00	120.00	...	25.00	25.00	...	60.00	60.00
7. अन्य कार्यक्रम	2853	4.50	2.73	7.23	4.50	2.73	7.23	5.00	2.83	7.83
जोड़ - अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग		191.58	397.57	589.15	153.08	302.33	455.41	178.95	271.83	450.78
8. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न उधार										
8.01 खनन अन्वेषण निगम लिमिटेड	6853	30.00	30.00
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधान										
9.01 भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण	2552	16.55	...	16.55	16.55	...	16.55	16.00	...	16.00
	4552	0.20	...	0.20
9.02 भारतीय खान ब्यूरो	2552	1.80	...	1.80
	4552	0.37	...	0.37	0.37	...	0.37	0.05	...	0.05
जोड़	16.92	...	16.92	16.92	...	16.92	18.05	...	18.05	
10. सरकारी उद्यमों में निवेश	4853	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	42.00	...	42.00
कुल जोड़		228.50	405.24	633.74	190.00	310.00	500.00	239.00	310.00	549.00
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
10.01 हिन्दुस्तान कॉपर लि.	12853	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	40.00	...	40.00
10.02 नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड	12853	...	650.00	650.00	...	325.00	325.00	...	310.00	310.00
10.03 खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड	12853	2.00	...	2.00
10.04 अन्य निकाय/संस्थाएं	12853	...	3.55	3.55	...	3.55	3.55	...	3.55	3.55
जोड़		20.00	653.55	673.55	20.00	328.55	348.55	42.00	313.55	355.55
ग. आयोजना परिव्यय*										
1. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	12853	217.58	653.55	871.13	180.28	328.55	508.83	226.95	313.55	540.50
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	16.92	...	16.92	16.92	...	16.92	18.05	...	18.05
जोड़		234.50	653.55	888.05	197.20	328.55	525.75	245.00	313.55	558.55
* शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की मांगों में प्रदत्त निर्माण कार्य परिव्यय सहित।										
मांग संख्या 98	12853	1.10	...	1.10	1.20	...	1.20	1.10	...	1.10
मांग संख्या 99	12853	4.90	...	4.90	6.00	...	6.00	4.90	...	4.90
जोड़		6.00	...	6.00	7.20	...	7.20	6.00	...	6.00

1. **सचिवालय:** इसके अन्तर्गत विभाग के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।
2. **भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण:** इसके अन्तर्गत भूगर्भीय मानचित्रण और अपतटीय क्षेत्रों सहित देश के क्षेत्रीय खनिज के मूल्यांकन के लिए व्यवस्था है और इसमें उपग्रह प्रतिबिम्ब और वायुवाहित सर्वेक्षण के जरिए सुदूर संवेदन की आवश्यकता भी शामिल है।
3. **खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड को अनुदान:** संवर्धनात्मक आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निगम को सौंपी गई अन्वेषण परियोजनाओं का वित्तपोषण सरकार द्वारा किया जाता है।
4. **भारतीय खान ब्यूरो :** इसके अन्तर्गत किए गए प्रावधान में स्थानों के अध्ययन और निरीक्षण तथा अनुसंधान के लिए भारतीय खान ब्यूरो की आवश्यकताओं और (i) निम्न श्रेणी के अयस्कों और खनिजों के उपकारक और (ii) खनिज संसाधनों के संरक्षण और वैज्ञानिक विकास को बढ़ाने के दृष्टिगत विशेष खनन समस्याओं के लिए व्यवस्था शामिल है।
5. **भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड:** यह प्रावधान जनशक्ति को अलग करने के लिए है।
6. **हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड :** यह प्रावधान जनशक्ति को अलग करने के लिए है।
7. **अन्य कार्यक्रम:** इनमें विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं और राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार आदि के लिए विभिन्न स्वायत्तशासी और वैज्ञानिक निकायों को सहायता-अनुदान के लिए प्रावधान शामिल है।
8. **सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आयोजना-भिन्न ऋण:** यह प्रावधान खनिज अन्वेषण निगम लि. को जनशक्ति को अलग करने के लिए है।
9. एकमुश्त प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों व सिक्किम के लाभ के लिए विकास की योजनाओं/परियोजनाओं के लिए है।
10. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश:** यह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनकी नई और चालू स्कीमों, प्रतिस्थापन और नवीकरण तथा अनुसंधान और विकास पर पूंजी व्यय की पूर्ति के लिए इक्विटी की व्यवस्था करता है।